3/1/18

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम तिथि 11/1/18 को पेश हो।

11/1/18

वादी स्वयं उप.। वादी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर बैंच सदस्यों के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते नोट प्रेस प्रस्तुत कर वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किए जाने का निवेदन किया। बैंच सदस्यों द्वारा वादी को सुना गया। लोक अदालत की भावना का सम्मान करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम होकर शामिल रिकार्ड हो।

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.03.04 10:47:53 IST
Reason: SelfAttested